ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्र सं०–1प/विविध–14–17/2022/8298/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

गोविन्द चौधरी,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार,
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय,
सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान,
सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान,
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार।

पटना, दिनांक–02/7/2025

विषयः– बिहार पंचायत सेवा के पदाधिकारियो का वर्ष, 2024–25 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) को SPARROW प्रणाली के तहत आलेखन करने के संबंध में।

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8160 दिनांक–22.05.2024 एवं पत्रांक–8634 दिनांक–16.05.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा बिहार सरकार के समूह 'क' एवं 'ख' के कर्मियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के स्थान पर ऑनलाईन e-PAR अभिलिखित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है। उक्त पत्र की कंडिका–5(1) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है राज्य सरकार के समूह 'क' एवं 'ख' के कर्मियों के PAR का अभिलेखन वित्तीय वर्ष 2023–24 से Manual नहीं होगा बल्कि SPARROW System पर ऑनलाईन e-PAR में अभिलिखित किया जायेगा। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि विशेष चारित्री/विशेष वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/विशेष कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलिखित किये जाने की व्यवस्था वर्ष 2022–23 तक ही प्रभावी रहेगी। वर्ष 2023–24 से उक्त व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बार–बार गहण समीक्षा की जाती है।

उक्त के आलोक में बिहार पंचायत सेवा के पदाधिकारियों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के अंतर्गत PAR e-filing हेतु समय सीमा का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:–

क्र०सं०	गतिविधि	समय–सीमा
1	विहित प्रपत्र में Work Flow Chart विभाग को उपलब्ध कराना	20.07.2025
2	प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन (Self Appraisal) को भरकर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Online Forward किये जाने की अंतिम तिथि	30.07.2025

कृ०प०उ०

3.	प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा PAR पर अपना मंतव्य अंकित कर समीक्षी पदाधिकारी को Online Forward किये जाने की अंतिम तिथि	05.08.2025
4	समीक्षी पदाधिकारी द्वारा PAR पर अपना मंतव्य अंकित कर स्वीकरण पदाधिकारी को Online Forward किये जाने की अंतिम तिथि	10.08.2025
5	स्वीकरण पदाधिकारी द्वारा PAR पर अपना मंतव्य अंकित कर PAR Custodian को Online Forward किये जाने की अंतिम तिथि	15.08.2025

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत बिहार पंचायत सेवा के सभी पदाधिकारियों को उपर्युक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत PAR अभिलिखित कर Forward किये जाने हेतु अपने स्तर से निदेशित किये जाने की कृपा की जाय, ताकि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के तहत् PAR अभिलेखन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ससमय पूर्ण किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–1प/विविध–14–17/2022/8298/पं०रा० पटना, दिनांक 02/7/2025

प्रतिलिपिः–बिहार पंचायत सेवा के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आप सभी को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत पी०ए०आर० भरकर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Online Forward नहीं किये जाने पर आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–1प/विविध–14–17/2022/8298/पं०रा० पटना, दिनांक 02/7/2025

प्रतिलिपिः–तकनीकी निदेशक (Scientist-E), NIC, मुख्य सचिव कोषांग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–1प/विविध–14–17/2022/8298/पं०रा० पटना, दिनांक 02/7/2025

प्रतिलिपिः–आई०टी०प्रबंधक/प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव